



2026:AHC:24648

रिट-ए संख्या- 32433 वर्ष 2015

राजीव मिश्रा

...याचिकाकर्ता

बनाम

प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

...प्रतिवादी

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बी. पी. वर्मा

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, वी. के. श्रीवास्तव।

---

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 34

(माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान द्वारा प्रदत्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता और राज्य के स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित मांग के साथ दायर की गई है:

"(i) उत्प्रेषण के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी 19.9.2013 और 8.11.2013 के विवादित पत्र / आदेशों को रद्द किया जाए, ये पत्र रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 8 और 12 में शामिल हैं।

(ii) परमादेश के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी बैंक को नौकरी के दौरान मृत्यु नियमों के तहत नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

(iii) परमादेश के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी बैंक को नियुक्ति के बदले याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि देने का आदेश और निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता की माँ प्रतिवादी - बैंक में कर्मचारी थीं और 7.10.2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने 8.2.2013 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इसके जवाब में, प्रतिवादी-बैंक ने 23.2.2013 को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर बैंक की ज़रूरत के अनुसार दस्तावेज जमा किए जाएं तो अनुग्रह राशि दी जा सकती है। इसके बाद, याचिकाकर्ता के भाई संजीव मिश्रा ने 7.7.2013 को आवेदन किया। अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि के लिए किए गए इस आवेदन को बैंक ने 8.11.2014 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



आवेदन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से छह महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि बैंक ने 23.2.2013 के पत्र के ज़रिए याचिकाकर्ता से अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने को कहा था, जिसके बाद ही याचिकाकर्ता के भाई ने आवेदन किया था; उनके भाई की 2017 में मृत्यु हो गई। इसलिए, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की क्योंकि अनुग्रह भुगतान पूरे परिवार के फायदे के लिए होता है और इस तरह, याचिकाकर्ता भी अनुग्रह भुगतान का दावा करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि छह महीने की समय-सीमा वाली बात प्रतिवादी-बैंक के परिपत्र से आई है, जिसे जवाबी हलफनामों के पृष्ठ 12 पर दाखिल किया गया है। यह परिपत्र 9.4.2008 का है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि परिपत्र प्रतिवादी-बैंक का अंदरूनी दस्तावेज़ है और यह मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों की जानकारी में नहीं था, इसलिए अनुग्रह भुगतान के लिए आवेदन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, बैंक ने ही 23.2.2013 के पत्र के ज़रिए अनुग्रह भुगतान के लिए आवेदन करने को कहा था, और उसके बाद छह महीने के भीतर आवेदन दायर किया गया था।

4. प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता का कहना है कि बैंक के परिपत्र के अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से छह महीने के भीतर अनुग्रह भुगतान के लिए आवेदन करना ज़रूरी है। प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता ने बैंक के 9.4.2008 के परिपत्र का हवाला दिया है, जिसे जवाबी हलफनामों के साथ अनुलग्नक संख्या सीए-1 के तौर पर दाखिल किया गया है। प्रतिवादी - बैंक के अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि आवेदन उक्त परिपत्र में तय समय-सीमा के बाद दायर किया गया था, इसलिए अनुग्रह भुगतान का दावा खारिज कर दिया गया है।

5. जब प्रतिवादी - बैंक के अधिवक्ता से पूछा गया कि बैंक ने 23.2.2013 का पत्र, जिसे रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के तौर पर दाखिल किया गया है, क्यों जारी

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



किया था जिसमें अनुग्रह भुगतान के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जबकि बैंक को अच्छी तरह पता था कि परिपत्र के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से छह महीने के भीतर आवेदन करना ज़रूरी है, तो प्रतिवादी - बैंक के अधिवक्ता इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुग्रह राशि का भुगतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले में किया जाता है। याचिकाकर्ता की माँ बैंक की कर्मचारी थीं, और बैंक ने भी इस बात को स्वीकार किया है। बैंक के आंतरिक परिपत्र की जानकारी आमतौर पर उन लोगों को नहीं होती जो बैंक से जुड़े नहीं हैं, जब तक कि उन्हें प्रकाशित और व्यापक रूप से प्रसारित न किया जाए। बैंक का यह कहना नहीं है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता को 9.4.2008 के परिपत्र की जानकारी थी। प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता ने यह नहीं दिखाया है कि मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक के 9.4.2008 के परिपत्र के बारे में सूचित किया गया था। इसके अलावा, बैंक ने खुद 23.2.2013 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए आवेदन करने को कहा था; इसलिए, उक्त परिपत्र की जानकारी होने की तारीख को, अधिक से अधिक, 23.2.2013 के पत्र की तारीख से माना जा सकता है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए आवेदन याचिकाकर्ता के भाई, संजीव मिश्रा ने 7.7.2013 को किया था। हालाँकि, प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता ने न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता के भाई ने अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया था और आक्षेपित आदेश के माध्यम से उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के भाई संजीव मिश्रा का 2017 में निधन हो गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लाभ के

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



लिए होता है और इसलिए, परिवार का प्रत्येक सदस्य इसके लिए दावा करने का हकदार होगा।

7. प्रतिवादी-बैंक के 23.2.2013 के पत्र और इस तथ्य को देखते हुए कि आंतरिक परिपत्र स्वतः आवेदन करने पर कोई समय-सीमा लागू नहीं कर सकता जब तक कि आंतरिक दस्तावेज़ मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित न किया जाए, जो कि इस मामले में बैंक ने नहीं दिखाया है।

8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी 19.9.2013 और 8.11.2013 के विवादित पत्र / आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादी संख्या 2 के पास वापस भेजा जाता है ताकि वे समय-सीमा के सवाल में जाए बिना याचिकाकर्ता की 'अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति' के बदले 'अनुग्रह भुगतान' की अर्जी पर विचार कर सकें। यह प्रक्रिया आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि पेश करने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी। अगर बैंक को किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत हो या कोई औपचारिकता पूरी करनी हो, तो इसकी जानकारी आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि पेश करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी और याचिकाकर्ता को उसके बाद एक महीने के भीतर वह औपचारिकता पूरी करनी होगी।

9. इस प्रकार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

4 फ़रवरी 2026

डी. तमांग

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।